



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

रिट - सी संख्या - 6520 वर्ष 2026

उमा शंकर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व, लखनऊ और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पी.आर.एस. बाजपेयी, निलया गुप्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.आर.एस. बाजपेयी एवं राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री बट्टीश कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:-

"(I) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश उत्प्रेषण की प्रकृति में जारी करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा म्यूटेशन/खारिज दाखिल वाद संख्या 1157 वर्ष 2009 (श्रीमती रामकुमारी बनाम महादेव) में पारित एकपक्षीय म्यूटेशन/खारिज दाखिल आदेश दिनांक 30.09.2009 को वापस लेने (रिक्वॉल करने) हेतु दाखिल पुनर्स्थापना/रिक्वॉल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2009 (उमाशंकर बनाम श्रीमती रामकुमारी व अन्य) में प्रत्यर्थी संख्या 5/6 द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 02.04.2026 एवं 09.04.2026 को प्रत्यर्थी संख्या 5/6 से उसका मूल अभिलेख आहूत/समन करने के पश्चात् निरस्त किया जाए।

(II) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश निषेधाज्ञा की प्रकृति में जारी करते हुए प्रत्यर्थियों विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 5/6 तथा उनके अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को, म्यूटेशन/खारिज दाखिल वाद संख्या 1157 वर्ष 2009 (श्रीमती रामकुमारी बनाम महादेव) में पारित एकपक्षीय म्यूटेशन/खारिज दाखिल आदेश दिनांक 30.09.2009 को वापस लेने हेतु दाखिल पुनर्स्थापना/रिक्वॉल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2009 (उमाशंकर बनाम श्रीमती रामकुमारी व अन्य) में प्रत्यर्थी संख्या 5/6 द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 09.04.2026 के अनुपालन में कोई कार्रवाई न करने तथा उसे क्रियान्वित न करने हेतु निर्देशित किया जाए।

(III) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश निषेधाज्ञा की प्रकृति में जारी करते हुए प्रत्यर्थियों, विशेषकर प्रत्यर्थी संख्या 5/6 को म्यूटेशन/खारिज दाखिल वाद संख्या 1157 वर्ष 2009 (श्रीमती रामकुमारी बनाम महादेव) में पारित एकपक्षीय म्यूटेशन/खारिज दाखिल आदेश दिनांक 30.09.2009 को वापस लेने हेतु दाखिल पुनर्स्थापना/रिक्वॉल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2009 (उमाशंकर बनाम श्रीमती रामकुमारी व अन्य) में पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 02.04.2026 तथा 09.04.2026 की प्रमाणित प्रति तत्काल जारी करने का निर्देश दिया जाए, तथा यह भी निर्देशित करने की कृपा करें कि वैधानिक अपील दाखिल करने की

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

परिसीमा उक्त एकपक्षीय आदेश दिनांक 02.04.2026 एवं 09.04.2026 की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से प्रारम्भ मानी जाए।

(IV) एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश निषेधाज्ञा की प्रकृति में जारी करते हुए प्रत्यर्थियों, विशेषकर प्रत्यर्थी संख्या 5/6 तथा उनके अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को, इस रिट याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान, संलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न आदेश दिनांक 07.05.2026 के अनुक्रम में प्रत्यर्थी संख्या 7 को किसी भी मुआवजे का भुगतान सुगम बनाने संबंधी कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश एकपक्षीय होने के साथ-साथ पश्च-दिनांकित(पुरानी तारीख का) भी हैं। इस तथ्य की पुष्टि खतौनी संलग्नक संख्या 17, पृष्ठ संख्या 118 से की जा सकती है, जिसमें आदेश दिनांक 30.09.2025 का कोई उल्लेख नहीं है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि याचिकाकर्ता आक्षेपित आदेशों के विरुद्ध अपील दाखिल करना चाहता था, किंतु विपक्षी संख्या 3 के कार्यालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अथक प्रयासों के बावजूद प्रमाणित प्रति जारी नहीं की और प्रमाणित प्रति का फोलियो (पृष्ठ) संबंधित लिपिक द्वारा वापस लौटा दिया गया।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विपक्षी संख्या 4 के कार्यालय में बिचौलियों का गठजोड़ है, जो शीघ्र प्रमाणित प्रति जारी करने के एवज में रु. 2,000/- की मांग करते हैं। इस विषय में याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.06.2026 को पंजीकृत डाक के माध्यम से ज़िला मजिस्ट्रेट, रायबरेली को एक शिकायत पत्र भी भेजा है।

6. उक्त तर्कों को सुनने के पश्चात्, इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 18.06.2026 द्वारा प्रभारी तहसीलदार, तहसील लालगंज, ज़िला रायबरेली को आदेश दिनांक 02.04.2026 तथा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

09.04.2026 के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। आदेश दिनांक 18.06.2026 के अनुपालन में नायब तहसीलदार/प्रभारी तहसीलदार, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली शिवम राठौर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2026 एवं 09.04.2026 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कीं। उक्त प्रतियां याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सौंप दी गई हैं।

7. जहां तक प्रमाणित प्रति जारी करने में विपक्षी संख्या 4 के कार्यालय की मनमानी तथा बिचौलियों के गठजोड़ के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत का प्रश्न है, इस तथ्य की जांच ज़िला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा की जाएगी।

8. अतः वर्तमान रिट याचिका को इस छूट के साथ **निस्तारित** किया जाता है कि याचिकाकर्ता अपनी पूर्व शिकायत के साथ ज़िला मजिस्ट्रेट, रायबरेली के समक्ष दस दिनों की अवधि के भीतर अभ्यावेदन/शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी जांच की जाएगी और उपयुक्त आदेश पारित किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 जून, 2026

मुक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।